भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4283

29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: एनसीडीसी का विस्तार

4283. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के दायरे का विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क**)** एवं (ख): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम **(**एन.सी.डी.सी.**)** एन.सी.डी.सी. अधिनियम**,** 1962 द्वारा शासित है। एन.सी .डी.सी. अधिनियम 1962 की धारा 9, एन.सी.डी.सी. के कार्यात्मक दायरे का वर्णन करती है।

(ग): सहकारिता मंत्रालय के पास "सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और उन सभी क्षेत्रों में सहकारिता गतिविधियों के समन्वय का अधिदेश है, जहां संबंधित मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए जिम्मेदार होती हैं।"

सहकारिता मंत्रालय नियमित संचार और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से कई मंत्रालयों/विभागों के बीच सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान कर रहा है। सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ सहभागी और लाभार्थी दोनों के रूप में सहकारी समितियों के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है।

******